राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
Telex : 0141-2993119 Email ID : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website :www.irgyurban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ.56(क)()सीई/डीएलबी/IRGY/2024–25/ 8169 - 8450 दिनांक : 19/06/2024

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त, राजस्थान।

विषयः–नगरीय निकाय क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु शहरी वन क्षेत्र विकसित करने के संबंध में।

संदर्भः–विभागीय पत्रांक 5629–5868 दिनांक 22.05.2024, पत्रांक 7117–7391 दिनांक 29.05.2024 एवं 7528–7534 दिनांक 10.06.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा वर्ष 2024–25 में नगरीय निकाय क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं शहरी वन क्षेत्र विकसित करने हेतु प्रदत्त निर्देशों एवं निर्धारित लक्ष्यों के क्रम में लेख है कि निकायों द्वारा प्रेषित सूचना अनुसार अधिकतर पौधारोपण सड़क किनारे/मीडियन पर प्रस्तावित किया गया है तथा शहरी वन क्षेत्र विकसित करने के प्रस्तावों अंतर्गत सघन वृक्षारोपण का अभाव है।

शहरी वन क्षेत्र स्थापित करने हेतु संदर्भित पत्रों द्वारा वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर, प्राप्त सुझाव अनुसार कार्यवाही करते हुए मियावाकी पद्धति (कार्यविधि संलग्न) को उदाहरण के रूप में अपनाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिससे कम भूमि क्षेत्र पर अधिक पौधारोपण किया जा सके।

अतः वृक्षारोपण कार्यों अंतर्गत प्राथमिकता से **शहरी वन क्षेत्र** विकसित किए जाने के प्रस्ताव अंतर्गत **सघन वृक्षारोपण** अपनाकर निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः एफ.56(क)()सीई/डीएलबी/IRGY/2024–25/ 8451 – 8459 दिनांक : 19/06/2024

प्रतिलिपीः–

1. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
4. सुरक्षित पत्रावली।

(मनोज सोनी)
परियोजना निदेशक(IRGY)

RajKaj Ref
8106483

Document certified by SURESH KUMAR OLA <sureshola5788@gmail.com>

Digitally Signed by Suresh Kumar Ola
Designation : Director
Date :18-06-2024 07:12:38

मियावाकी पद्धति से शहरी वनक्षेत्र स्थापित करने की प्रक्रिया

मियावाकी पद्धति अंतर्गत एक ही क्षेत्र में दर्जनों देशी प्रजातियों के पेड़ लगाकर सघन वन क्षेत्र विकसित किया जाना शामिल है, जिसमें तीन वर्षों के बाद पेड़ रखरखाव–मुक्त हो जाते है। इस तकनीक में प्रति वर्ग मीटर में लगभग 3 से 4 पौधे लगाये जाते है।

चरण 1: मिट्टी की बनावट अनुसार बायोमास की मात्रा का निर्धारणः–

मिट्टी की बनावट (Soil texture) के अनुसार मिश्रण सामग्री का निर्धारण करें जिसमें छिद्रक सामग्री (perforator material) जैसे भूसी (Husk), वॉटर रिटेनर जैसे– सूखे गन्ने के डंठल तथा पोषण के लिए गोबर खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है।

चरण 2: वृक्षारोपण हेतु वृक्ष प्रजातियों का चयनः–

- जैव विविधता के लिए अधिक से अधिक स्थानीय प्रजातियों के पौधो को उंचाई अनुसार विभिन्न स्तर (Layer) में लगाये।

चरण 3: स्थल चयनः–

- वनीकरण के लिए उपयुक्त क्षेत्र का चयन करें, जहां सघन वृक्षारोपण को क्रियान्वित किया जा सके जैसे Wasteland, STP/FSTP, तालाब/जल स्थलों के समीप, उद्यान/पार्क, Landfill Sites इत्यादि जहां शहरी वन क्षेत्र की स्थापना की जा सकती है।

चरण 4: क्रियान्वयनः–

- साइट निरीक्षण कर वन क्षेत्र में बाड़ लगाने, जल बहाव और सूरज की रोशनी की उपलब्धता की पुष्टि करें तथा मलबा और खरपतवार हटवाना व पौधों को पानी की आवश्यकता अनुसार स्थानीय उपलब्धता/टैंकर के माध्यम से व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- वृक्षारोपण के लिए जमीन तैयार करनाः अर्थमूवर मशीन/ट्रैक्टर की सहायता से सबसे पहले 100 वर्गमीटर भूमि पर 1 मीटर की गहराई तक मिट्टी खोदें। आधी मिट्टी वापस गड्ढे में डालें और समान रूप से फैला दें। तैयार किए गए बायोमास का आधा हिस्सा मिट्टी में मिलाएं। फिर बची हुई मिट्टी को वापस गड्ढे में डालें और समान रूप से फैला दें। अब बचे हुए बायोमास को इस मिट्टी में समान रूप से मिला दें। इसके बाद मिट्टी को एक टीले का आकार दें। प्रत्येक वर्गमीटर में अलग–अलग उंचाई (layers) में उगने वाले पौधों को समूहित करने का प्रयास करें – झाड़ी, उप वृक्ष, वृक्ष और छत्र (canopy)। पौधों के बीच 60 सेमी की दूरी बनाए रखने का प्रयास करें।
- पौधों को शुरुआती महीनों के दौरान सहारे की जरूरत है ताकि वे झुके नहीं।
- मल्चिंगः मल्च को मिट्टी पर परत में समान रूप से बिछाया जाना चाहिए।

चरण 5: रख–रखावः–

- पहले 2–3 वर्षों तक जंगल को खरपतवार मुक्त रखें।
- सुनिश्चित करें कि पौधे सीधे रहें, इसके लिए पौधों को सपोर्ट स्टिक से बांधा जावे।
- जंगल को साफ–सुथरा रखें और प्लास्टिक, कागज आदि से मुक्त रखें।
- उचित जल निकासी व्यवस्था बनाए रखें ताकि जंगल में कहीं भी पानी जमा न हो।
- कीटनाशकों या रासायनिक उर्वरकों जैसे किसी भी रसायन का उपयोग न करें, इसके स्थान पर जैविक एवं नीम से बने उर्वरक इत्यादि प्राकृतिक उपचार की व्यवस्था करें।
- स्थल सुरक्षा वायर फेंसिंग/कंटीले बाड़ों से की जाये, ट्री गार्ड का उपयोग निषेध है।